

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] No. 303] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2017/कार्तिक 26, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017/KARTIKA 26, 1939

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

## (अवसंरचना नीति और कार्यान्वयन अनुभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

- **फा. सं. 13/1/2017-इंफ्रा.**—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची **(अनुबंध-I)** एतद्वारा अधिसूचित की जाती है। नई सूची में 17 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन सम्मिलित किए जाएंगे।
- 1. क्रम संख्या 1 में श्रेणी को विस्तृत करते हुए जिसे फिलहाल "परिवहन" के स्थान पर "परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स" पढ़ा जाए। इसके अतिरिक्त "परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स" की श्रेणी का पुन: नामकरण करते हुए स्थिति 8 में एक नई मद "लॉजिस्टिक्स अवसंरचना" को जोड़ा गया है जिसके साथ एक फुटनोट दिया हुआ है जो यह बताता है कि "लॉजिस्टिक्स अवसंरचना" में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश तथा 10 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 20,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ प्रशीतन श्रृंखला सुविधा तथा/अथवा 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 1 लाख वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ भंडार गृह सुविधा सहित बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क सम्मिलत है।

एस. सेल्वकुमार, संयुक्त सचिव (आईपीएफ)

6730 GI/2017 (1)

# <u>अनुबंध-।</u>

# अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र.सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन एवं	● सड़क और पुल
	लॉजिस्टिक्स	<ul> <li>पत्तन¹</li> </ul>
		● पोत कारखाना <sup>2</sup>
		• अन्तर्देशीय जलमार्ग
		• एयरपोर्ट
		• स्टेशन और समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल,
		टर्मिनल अवसंरचना
		• शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक के सिवाय)
		• लॉजिस्टिक्स अवसंरचना <sup>3</sup>
2.	ऊर्जा	• विद्युत उत्पादन
		• विद्युत पारेषण
		• विद्युत वितरण
		• तेल पाईपलाइनें
		● तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा⁴
		● गैस पाईपलाइनें <sup>5</sup>
3.	जल और स्वच्छता	<ul> <li>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</li> </ul>
		• जल आपूर्ति पाईपलाइनें
		• जल शोधन संयंत्र
		• मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली
		• सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि)
		• स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली
		• पतले मसाले की पाइपलाइनें
4.	संचार	• दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क) <sup>6</sup>
		• दूरसंचार टावर
		• दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	सामाजिक तथा	• शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टाक)
	वाणिज्यिक	• खेलकूद अवसंरचना <sup>7</sup>
	अवसंरचना	• अस्पताल (कैपिटल स्टाक) <sup>8</sup>
		• पर्यटक अवसंरचना अर्थात् (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर
		अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल (ii) रोपवे एवं
		केबलकार
		औद्योगिक पार्कों तथा फूड पार्कों, टैक्सटाईल पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधा
		तथा कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि सहित अन्य पार्कों हेतु साझी अवसंरचना
		कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना
		• टर्मिनल बाजार
		<ul> <li>मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं</li> </ul>
		र पृयानकापाय अवागसामाप

	•	प्रशीतन श्रृंखला <sup>9</sup>
	•	सस्ते आवास <sup>10</sup>

- <sup>1</sup> बड़े तलकर्षण शामिल हैं।
- 2 "पोत कारखाने" को तैरती हुई अथवा तटीय, घुमावदार बंदरगाह, लंगरगाह और डॉर्किंग सुविधा, जलावतरण मंच और/ अथवा पोत उठाव की आवश्यक विशेषताओं वाले जल पर अथवा भूमि पर स्थित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत तोड़ने के कार्यकलाप करने में सक्षम है।
- <sup>3</sup> "लॉजिस्टिक्स अवसंरचना" में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश तथा 10 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 20,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ शीत श्रृंखला सुविधा तथा/अथवा 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 1 लाख वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ भंडार गृह सुविधा सहित बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क सम्मिलित है।
- 4 कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भण्डारण शामिल है।
- 5 शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।
- <sup>6</sup> आप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैण्ड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।
- <sup>7</sup> खेलकूद और खेलकूद संबंधी कार्यकलाप में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए प्रशिक्षणशालाओं हेतु खेलकूद स्टेडियम और अवंसरचना का प्रावधान शामिल है।
- <sup>8</sup> चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।
- कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के पिरक्षिण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कूलिंग
   हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है।
- 10 "सस्ते आवास" को एक ऐसी आवासीय परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया जाता है जिसमें अधिकतम 60 वर्ग मीटर के कार्पेट क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाई के लिए फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएसआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग किया गया है।
- ❷ "कार्पेट क्षेत्रफल" का तात्पर्य वही होगा जो स्थावर संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (ट) में दिया गया है।

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INFRASTRUCTURE POLICY AND PROGRAMME SECTION)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2017

- **F. No. 13/1/2017-INF.**—With the approval of the Competent Authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 17<sup>th</sup> October, 2017:
- 1. Widening the Category at serial no.1 which currently reads "Transport" to "Transport and Logistics". Further, "Logistics Infrastructure" is included by insertion of a new item at position 8 in the renamed category of 'Transport and Logistics', with a footnote stating that "Logistics Infrastructure" means and includes Multimodal Logistics Park comprising Inland Container Depot (ICD) with minimum investment of Rs 50 crore and minimum area of 10 acre, Cold Chain Facility with minimum investment of Rs 15 crore and minimum area of 20,000 sft, and/or Warehousing Facility with investment of minimum Rs 25 crore and minimum area of 1 lakh sq ft.

#### Annexure-I

# **Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors**

Sl.No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport and Logistics	<ul> <li>Roads and bridges</li> <li>Ports¹</li> <li>Shipyards²</li> <li>Inland Waterways</li> <li>Airport</li> <li>Railway Track, tunnels, viaducts, bridges, terminal infrastructure including stations and adjoining commercial infrastructure</li> <li>Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)</li> <li>Logistics Infrastructure³</li> </ul>
2.	Energy	<ul> <li>Electricity Generation</li> <li>Electricity Transmission</li> <li>Electricity Distribution</li> <li>Oil pipelines</li> <li>Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility<sup>4</sup></li> <li>Gas pipelines<sup>5</sup></li> </ul>
3.	Water and Sanitation	<ul> <li>Solid Waste Management</li> <li>Water supply pipelines</li> <li>Water treatment plants</li> <li>Sewage collection, treatment and disposal system</li> <li>Irrigation (dams, channels, embankments, etc.)</li> <li>Storm Water Drainage System</li> <li>Slurry Pipelines</li> </ul>
4.	Communication	<ul> <li>Telecommunication (fixed network)<sup>6</sup></li> <li>Telecommunication towers</li> <li>Telecommunication &amp; Telecom Services</li> </ul>
5.	Social and Commercial Infrastructure	<ul> <li>Education Institutions (capital stock)</li> <li>Sports Infrastructure<sup>7</sup></li> <li>Hospitals (capital stock)<sup>8</sup></li> <li>Tourism infrastructure viz. (i) three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million, (ii) ropeways and cable cars</li> <li>Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets</li> <li>Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage</li> <li>Terminal markets</li> <li>Soil-testing laboratories</li> <li>Cold Chain<sup>9</sup></li> <li>Affordable Housing<sup>10</sup></li> </ul>

Includes Capital Dredging

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Shipyard" is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Logistics Infrastructure" means and includes Multimodal Logistics Park comprising Inland Container Depot (ICD) with minimum investment of Rs. 50 crore and minimum area of 10 acre, Cold Chain Facility with minimum investment of Rs. 15 crore and minimum area of 20,000 sft, and/or Warehousing Facility with investment of minimum Rs. 25 crore and minimum area of 1 lakh sq ft.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Includes strategic storage of crude oil.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Includes city gas distribution network.

- <sup>6</sup> Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.
- Includes the provision of Sports Stadia and Infrastructure for Academies for Training/Research in Sports and Sports-related activities.
- <sup>8</sup> Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.
- Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.
- <sup>10</sup> "Affordable Housing" is defined as a housing project using at least 50% of the Floor Area Ratio (FAR)/Floor Space Index (FSI) for dwelling units with carpet area<sup>®</sup> of not more than 60 square meters.
- <sup>®</sup> "Carpet Area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.